

21.04.25

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण के नाम से अलग-अलग समय पर तीन चार आवाज दिलाई गई। कोई उपस्थित नहीं।  
इससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि अधिवक्ता प्रार्थी एवं प्रार्थीगण अपने प्रार्थना-पत्र को लेकर गंभीर नहीं हैं।

लिखाजा प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र-'अहम पैरवी' व 'अहम टाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल नुमार होकर दारखिल दफतर हो व नंबर से कम हो।

  
सहायक कलेक्टर  
(SDO), जालंधर